कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/व.उ.वि./2016/डी – 448 दिनांक : 16.6.16

निविदा संशोधन सूचना

इस प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में निविदा सूचना संख्या 02 से 19/2016–17 द्वारा प्रकाशित विभिन्न कार्यों की निविदाओं के संबंध में बिड प्रपत्र में निर्धारित निविदा हेतु **पात्रता शर्तें** एवं **निविदा प्रकिया शुल्क** निम्नानुसार संशोधित किये जाते है :–

अ. पात्रता (संशोधित) :–

1. अन्य राजकीय विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में **'ए' एवं 'एए'** में पंजीकृत (जो उद्यानिकी कार्य हेतु मान्य हो) श्रेणी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/तसनिअ–I/2014–15/डी–753 दिनांक 16.02.15 के अनुसार उद्यानिकी कार्यों (Horticultural work) हेतु निम्नानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत राशि
H-I	कोई सीमा नहीं
H-II	रू. 100 लाख तक के कार्यों के लिये
H-III	रू. 50 लाख तक के कार्यों के लिये
H-IV	रू. 30 लाख तक के कार्यों के लिये

2. बोलीदाता द्वारा पिछले पॉच वर्षो में राज्य सरकार/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उद्यान/पार्क का विकास एवं संधारण तथा रोड साइड प्लान्टेशन व उसके संधारण संबंधी अथवा दोंनों कार्य निविदा राशि के 50 प्रतिशत राशि के बराबर मार्च, 2016 तक पूर्ण कर इस आशय की संबंधित विभाग से जारी कार्य निष्पादन रिपोर्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
   - उपरोक्त शर्त जविप्रा में उद्यानिकी श्रेणी (H-IV) में पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता के लिए लागू नहीं होगी।

ब. निविदा प्रकिया शुल्क (संशोधित) :–

निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक (Annexure-2) में प्रकाशित निविदा प्रकिया शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

- 50 लाख रू. तक के कार्यों के लिए – 500/– (रू. पांच सौ मात्र)
- 50 लाख रू. से अधिक के कार्यों के लिए – 1000/– (रू. एक हजार मात्र)

निविदा के शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगे।

वरिष्ठ उद्यानविज्ञ